न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 40/2023

अनवान : –

1. हनी पुत्र सुरेन्द्रपाल जाति अरोड़ा निवासी टिब्बी हाल 12/50 मुक्ताप्रसाद नगर बीकानेर, नाबालिग जरिये कुदरती वली मामा कुलदीप खतुरिया पुत्र दुर्गाशंकर जाति अरोड़ा निवासी 12/50 मुक्तप्रसाद नगर त0 व जिला बीकानेर ।

– प्रार्थी

बनाम

1. सुरेन्द्रपाल पुत्र रामचन्द्र जाति अरोड़ा निवासी टिब्बी त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. तहसीलदार राजस्व , टिब्बी।

–अप्रार्थीगण

प्रा.पत्र बाबत अस्थाई निशेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
श्री सुभाष गर्ग प्रार्थीगण
श्री रतनलाल शर्मा अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 01/05/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि प्रार्थी के पिता, अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चकन0 13 साडाआर के जाता 156/145 में कुल 0.759 है0 में से 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 247/156 में कुल 1.012 है० आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी की माता रजनी को प्रार्थी के पिता सुरेन्द्रपाल द्वारा दिनांक 04.03.2023 को जलाकर मार दी गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 51 ६ 2023 पुलिस थाना टिब्बी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी एक मात्र विधिक वारिस है। प्रार्थी का पिता न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी अव्यस्क है प्रार्थी की ओर से जरिये कुदरती वली संरक्षक प्रार्थी के मामा कुलदीप खतुरिया द्वारा प्रार्थी के हितों को देखते हुए मुकदमा हाजा पेश किया जा रहा है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पूर्व में प्रार्थी के दादा रामचन्द्र के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी अप्रार्थी सं० 1 को प्रार्थी के दादा से प्राप्त हुई है जो पैतृक सम्पति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी में प्रार्थी का 1६2 हिस्सा का हक व हिस्सा बनता है । लेकिन प्रार्थी के हक व हिस्सा की आराजी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है व प्रार्थी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वितीय संस्थाओं से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता है। इसलिए प्रार्थी घोषणा इस आशय की प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज अप्रार्थी सं0 1 के नाम की आराजी में प्रार्थी 1/2 हिस्सा की आराजी का खातेदार काश्तकार है व इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करवाकर चक 13 सीडीआर के खाता सं0 156 /145 व इसी चक के खातासं० 247/156 में से अप्रार्थी सं० 1 का हिस्सा कम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है । प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में प्राथी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है लेकिन अप्रार्थी सं0 1 जो कि बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा कुआदतों का शिकार है। अप्रार्थी सं0 1 जो कि अपनी कुआदतों को पूरा करने के लिए मुझ प्रार्थी व प्रार्थी की माता को घर से निकाल रखा था व दिनांक 04.03.2023 को जलाकर मार दी गई जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 51/2023 पुलिस थाना टिब्बी संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थी एक मात्र विधिक वारिस है । अप्रार्थी सं0 1 जो कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी अपने नाम से होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त भूमि को औने पौने दामों में बैचान करने व मुझ प्रार्थी के हक व हिस्सा को मारने पर आमादा है। अगर अप्रार्थी सं0 1 अपने इस गलत व विधि विरूद्व कृत्य में कामयाब हो गया तो मुझ प्रार्थी को कभी ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी को आइन्दा मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन,

उपखण्ड अधिकारी एवं

पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा

बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी संव 1 इस आशय की जारी की जावे कि चकनं0 13 सीडीआर के खाता सं0 156/145 में कुल 0.759 है0 में से अप्रार्थी सं0 1 अपने 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 247/156 में कुल 1.012 है0 आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथमिक विधिक आपत्ति वाद वादी हनी की ओर से मामा कुलदीप खतुरिया द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे वादी हनी का कुदरती वली प्रदर्शित किया गया है। विधि अनुसार मामा कुदरती वली की परिभाषा में नही आता है एवं वादी हनी की ओर से उक्त कुलदीप खतुरिया को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व सक्षम न्यायालय से संरक्षक घोषित होना आवश्यक है, जब तक उक्त कुलदीप खतुरिया सक्षम न्यायालय से वादी की संरक्षकता सम्बन्धी आदेश प्राप्त नही कर लेता है तब तक वह वादी की ओर से यह वाद प्रस्तुत करने का विधिक रूप से अधिकारी नही है। ऐसी स्थिति में वाद इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । मदवार जवाब वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कथन सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार दर्ज नही किये गये होने के कारण अस्वीकार है । वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कथन राजस्व रिकॉर्ड में वर्णितानुसार स्वीकार है । वाद पत्र की चरण संख्या 03 में वर्णित कथन असत्य व मनघढंत होने से अस्वीकार है । वादी की पत्नी रजनी द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिसका झूठा मुकदमा प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दर्ज हुआ था। इस दर्ज मुकदमा में पुलिस द्वारा स्वयं द्वारा जलने का चालान पेश किया जा चुका है, जिससे भी प्रतिवादी संख्या 01 पर अपनी पत्नी को जलाकर मारने सम्बन्धी कथन मिथ्या सिद्ध होते है । प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध यह झूठा मुकदमा उसकी कृषि भूमि को हड़प करने की गर्ज से दर्ज करवाया गया है। इस मुकदमा में प्रतिवादी संख्या 01 जमानत पर है । वादी के अव्यस्क होने सम्बन्धी कथन स्वीकार है परन्तु वादी की ओर से उसके मामा कुलदीप खतुरिया को यह वाद प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है वाद पत्र की चरण संख्या 04 में वर्णित कथन असत्य व मनघढंत होने से अस्वीकार है । वाद पत्र की चरण संख्या 02 में दर्ज कृषि भूमि विधि अनुसार पैतृक सम्पति नही है एवं ना ही वादी का इस कृषि भूमि में जन्म से कोई हक व हिस्सा नही बनता है। वादी का यह कथन कि वादी के हक व हिस्सा की आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है एवं वादी अपनी आराजी पर बैंक से ऋण लेने, पानी की बारी अपने नाम करवाने तथा अन्य वित्तिय संस्थाओ से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहता है, सम्बन्धी कथन असत्य व मनघढंत होने से अस्वीकार है । स्वीकृत रूप से वादी नाबालिग है, जिसका कोई कब्जा वादग्रस्त कृषि भूमि पर नही है एवं ना ही वादी द्वारा इस कृषि भूमि पर काश्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस चरण संख्या में वर्णित यह कथन केवलमात्र घोषणा का आधार बनाने के लिए दर्ज किये गये है, जिनमें कोई सत्यता नही है । वादी इस चरण संख्या में वर्णित कोई घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नही है वाद की चरण संख्या 05 में वर्णित कथन असत्य व मनघढंत होने से अस्वीकार है । वादी का यह कथन कि वादपत्र की दफा 02 में दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है एवं इस आराजी में वादी का जन्म से हक व हिस्सा बनता है, सम्बन्धी कथन असत्य व मनघढंत होने से अस्वीकार है । वादी का यह कथन भी कि प्रतिवादी संख्या 01 चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा कू आदतो का शिकार है, सम्बन्धी कथन भी असत्य व मनघढत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 01 किन्हीं कू आदतो का शिकार नही है । वादी द्वारा भी ऐसी कू आदतो का विशिष्ट विवरण दर्ज नही किया गया है । वादी की माता द्वारा स्वयं प्रतिवादी संख्या 01 का परित्याग किया हुआ था एवं वादी की माता द्वारा स्वयं को जलाकर आत्महत्या कारित की गई थी परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध द्वारा मिथ्या आधारो पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का कोई हक व हिस्सा नही बनता है । प्रश्नगत कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी है, जिसके उपयोग व उपभोग का पूर्ण अधिकार प्रतिवादी संख्या 01 का बनता है। वादी इस चरण संख्या में वर्णित कोई व्यादेश प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं वाद पत्र की चरण संख्या 06 में वर्णित कथन असत्य व मनघढंत होने से अस्वीकार

सहायक कलेक्टर
टिब्बी

उक्त कुलदीप खतुरियॉ वादी से मिला । वाद के अभिवचनो के अनुसार भी वादी की माता की

दिनांक 04.03.2023 को मृत्यु हुई है, ऐसी स्थिति में वादी की माता के जीवित रहते दिनांक 01.03.2023 को उसके कुदरती वली द्वारा निवेदन करने सम्बन्धी कथन स्वतः ही मिथ्या है। वादी की ओर से मिथ्या वाद कारण दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी को कोई वादकारण हासिल नही है । यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 07 में वर्णित कथन अविधिक है । प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध कोई अनुतोष ना चाहा गया होने से उन्हें अनावश्यक पक्षकार वाद पत्र की चरण संख्या 08 में वर्णित कथन अविधिक है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नही है । अतिरिक्त कथन यह वाद वादी को ढाल बनाकर उसके मामा कुलदीप खतुरिया द्वारा स्वयं की व्यक्तिगत उदेश्यो हेतु प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि को हडपने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उक्त कुलदीप खतुरिया को वादी की ओर से यह वाद प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है एंव ना ही प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक है। ऐसी स्थिति में वाद वादी मय खर्चा निरस्त किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 मय खर्चा निरस्त फरमाया जावें ।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र 212 आरटीए को हम अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दूओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार प्राप्त है । पत्रावली व जवाब प्रार्थना का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी के संरक्षक प्रार्थी के मामा को बनाये जाने पर आपत्ति की है। इस संबंध में हमारे द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 32 के नियम 3 व 4 का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी की माता फौत है एवं प्रार्थी के पिता बतौर अप्रार्थी प्रार्थना पत्र में दर्ज है। ऐसे में सीपीसी के आदेश 32 के नियम 3 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अन्य नैसर्गिक वादार्थ संरक्षक हो सकते है लेकिन नियम 4 के प्रावधान अनुसार वादमित्र का हित अवयस्क के हित के प्रतिकूल ना हो। हस्तगत प्रकरण में भी प्रार्थी के संरक्षक ने प्रार्थी के पक्ष में ही उसके हितों की रक्षा का अनुतोष चाहा है। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों से विवादित आराजी प्रार्थी की पैतृक संपति है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक अधिकार निहित है। प्रार्थी ने जरिये संरक्षक अपने अधिकारों की घोषणा के लिए न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 88 आरटीए वाद प्रस्तुत किया है जिसमें साक्ष्य सबूत एंव तनकीयात के बाद प्रार्थी के अधिकार तय होने है तब तक न्यायालय के अभिमत में उपरोक्त वर्णित आराजी पैतृक जाहिर होने के कारण प्रार्थी के अधिकारों को सुरक्षित रखना न्यायहित में है। अतः वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थी के विरूद्ध होकर प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। इसका सामान्य तात्पर्य यह है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी जो की पैतृक संपति जाहिर है। एवं प्रार्थी वर्तमान में नाबालिग है। ऐसे में यदि वर्णित आराजी को प्रार्थी के अधिकार तय होने तक सुरक्षित रखा जाता है तो सुविधा का संतुलन बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।

अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
टिब्बी

है कि यदि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी जो की पैतृक संपति जाहिर है। एवं प्रार्थी

वर्तमान में नाबालिग है। ऐसे में यदि वर्णित आराजी को किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति बिन्दू अप्रार्थी के विरूद्व होकर प्रार्थी के पक्ष में साबित है। तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना है। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में व प्रार्थी के विरूद्व साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में व विरूद्व अप्रार्थी साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 साबित होने के कारण ताफैसला वाद स्वीकार की जाती है एवं अप्रार्थीगण का ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वें चकनं0 13 सीडीआर के खाता सं0 156/145 में कुल 0.759 है0 में से अप्रार्थी सं0 1 अपने 1/3 हिस्सा व इसी चक के खाता सं0 247/156 में कुल 1.012 है0 आराजी को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित न कर रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनायें रखे।

निर्णय आज दिनांक 01/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़